न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–पवन कुमार (आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–17/2020

आशी देवी पुत्री कुम्भाराम जाति सुथार वगैरह निवासी 3 केएएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

---प्राथीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर

----अप्रार्थी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: दिनांक–12.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 3 केएएम(खाल) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–243/485 किला नं.–11 वा 21 कुल 0.506 हैक्टर रकबा है। जो जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 में सही दर्ज है। इसके आगे की जमाबंदी समवत् 2062 से 2065 की जमाबंदी में किला नं.–11 वा12 कुल 0.506 हैक्टर दर्ज है जो सहवन से गलत हो गया है। प्रार्थीयान चालू जमाबंदी में किला नं.–21 सही करवाना चाहती है। जमाबंदी में किला नं.–12 की जगह 21 सही किया जावें।

पत्रावली में संलग्न तहसीलदार रिपोर्ट, संलग्न दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। संलग्न दस्तावेजों यथा तहसीलदार रिपोर्ट व जमाबंदी के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में प्रार्थीगण द्वारा चाही गई किला नंम्बर की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

::आदेश::

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 3 केएएम(खाल) तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–243/485 किला नं.–11 वा 12 की कुल 0.506 हैक्टर कृषि भूमि के स्थान पर किला नम्बर 11 वा 21 का अंकन किया जावें। अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ को उक्त आदेश को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.17 15:29:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner